

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शमेश्वर बनाम शिवलाल (कोरी)

किस्म मुकदमा ..... प्र.पत्र 111/28 ..... नं. 189 ..... सन 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	----------------------------------	--

14-12-22

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 24-12-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

24/12/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. प. किये गये। अप्रार्थीगण को रक रक कर आवाने दिलाये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके निरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से रूम हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा



नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 189/22 प्राप्पत्र

रामेश्वर जी0 गणपत बाहाण चिवासी बुधरिया तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

शिवलाल जी0 कर्ताराम बाहाण चिवासी बुधरिया तहसील माण्डल [बगैर]  
(संबंधित प्राप्पत्र संख्या)

--विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 24-01-23

::आदेश::

मीर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन  
ग्राम बुधरिया पटवार हल्का बुधरिया तहसील माण्डल में उसके  
खाते की आराजी नं. 322/1, 323, 332, 333/1 कुल किता 04 रकबा 0.73.35  
हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के गण्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये  
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की  
के आदेश प्रदान कराये जायें।

ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का  
। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते  
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बुधरिया पटवार  
रिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 322/1, 323, 332, 333/1  
04 रकबा 0.73.35 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी  
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख  
बुधरिया को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने  
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार  
गढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा